



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062024-254543
CG-DL-E-04062024-254543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2081]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2024/ज्येष्ठ 14, 1946

No. 2081]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2024/JYAISHTHA 14, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 2024

का.आ. 2180(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए कपडा- उच्च घनत्व वाले पॉलीएथीलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए कपडा- उच्च घनत्व वाले पॉलीएथीलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए कपडा- उच्च घनत्व वाले पॉलीएथीलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 06 सितंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 5177 (अ), तारीख 06 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERES**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 4th June, 2024

S.O. 2180(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) /Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. **Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) /Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) /Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 06th day of September, 2024”.

[F.No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5177(E), dated the 06th December, 2023.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 2024

का.आ. 2181(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 50 किग्रा. सिमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा. सिमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा. सिमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 06 सितंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 5178 (अ), तारीख 06 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 4th June, 2024

S.O. 2181(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. **Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 06th day of September, 2024”.

[F.No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5178(E), dated the 06th December, 2023.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 2024

का.आ. 2182(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 50 किग्रा. सिमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लेमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा. सिमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लेमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा. सिमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लेमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 06 सितंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 5179 (अ), तारीख 06 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 4th June, 2024

S.O. 2182(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. **Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 06th day of September, 2024”.

[F.No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5179(E), dated the 06th December, 2023.

आदेश

नई दिल्ली, 4 जून, 2024

का.आ. 2183(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2)के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 06 सितंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 5181 (अ), तारीख 06 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 4th June, 2024

S.O. 2183(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP)/High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. **Short title and commencement-** (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP)/High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP)/High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 06th day of September, 2024”.

[F.No. PC-II-25014/9/2019-Tech.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 5181(E), dated the 06th December, 2023.